

रोटियास बनाम रामराम वर्मा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

करण संख्या 64 / 25

दावा

आज्ञा विरुद्ध रूप से

विशेष विवरण

दिनांक
आज्ञा या
कार्यवाही

22/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपण्ड
उपण/ वारुते बरिन्दार के द्वारा रिपोर्ट
प्राप्त होने के पत्रावली दिनांक 20/12/25
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

30/1/26

उपण्ड उपस्थित/ अभिभाषक संघ ने
न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 19/1/26
को पेश हो।

(सीडर)

19/1/26

उपण्ड उपस्थित/ अभिभाषक संघ ने
न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 15/1/26
को पेश हो।

(सीडर)

13/1/26

उपण्ड उपस्थित/ अभिभाषक संघ ने
न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ PO साहब
अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 15/1/26
को पेश हो।

(सीडर)

15/1/26

पत्रावली पेश हुई। कहील वाडी उपस्थित।
लखीलदार शाहपुरा से बरिन्दार रिपोर्ट के संबंध
में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली है।
लखीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन
किया गया। बरिन्दार उपरोक्त आदर लेता है कि
वाडी ने बरिन्दार रिपोर्ट लेना करने मना किया
था कहा कि अभी मैं बरिन्दार नहीं करवाना
चाहता हूँ। वाडी द्वारा बरिन्दार नहीं करवाने
के संबंध में फर्द मौका उरजात पर अपने
लखीलदार कि। वाडी द्वारा बरिन्दार नहीं


उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

श्रीदिलीप बनाम वाकरलन कजो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

प्रकरण संख्या 64/2025 दावा 53,188 RTAet

आज्ञा विस्तृत रूप से

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	15/11/26 लगातार	<p>करवाने का कथन करने से अब इस काद पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त कथन को काद पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली के साथ शुगर लेकर दाखिल होकर है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज. </p>